



The Madhya Pradesh Repeal Act, 2026

Act No. 8 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त 2026—श्रावण 20, शक 1948

विधि और विधि कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2026

क्र. 7656—164—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 अगस्त 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०२६

मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२६

[दिनांक ७ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ११ अगस्त, २०२६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

कतिपय अधिनियमितयों का निरसन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२६ है.

संक्षिप्त नाम.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्प्लित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

व्यावृत्ति.

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमन्यता, अविधिमन्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है. पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा:-

अनुसूची
(धारा २ देखिए)
निरसन

अनुक्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	निरसन की सीमा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	१९३३	२	डेट कन्सीलेशन एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९३३ (क्रमांक २ सन् १९३३).	संपूर्ण
२.	१९३७	४	प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) १९३७ (क्रमांक ४ सन् १९३७).	संपूर्ण
३.	१९३७	३	फेमाइन रिलीफ फण्ड एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९३७ (क्रमांक ३ सन् १९३७).	संपूर्ण
४.	१९३६	१४	रिलीफ ऑफ इनडेब्टेडनेस एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९३६ (क्रमांक ४ सन् १९३६).	संपूर्ण
५.	१९४०	३	विद्या मंदिर एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९४० (क्रमांक ३ सन् १९४०).	संपूर्ण
६.	१९४४	३	द मध्यप्रदेश रेगुलेशन ऑफ काउचिंग एक्ट १९४४ (क्रमांक २ सन् १९४४).	संपूर्ण
७.	१९४७	४२	लेण्ड सर्वे एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९४७ (क्रमांक ४२ सन् १९४७).	संपूर्ण

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2026

क्र. 7656-164-इक्कीस-अ (प्रा.).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 8 OF 2026

THE MADHYA PRADESH NIRSAN ADHINIYAM, 2026

[Received the assent of the Governor on the 7th August 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th August, 2026.]

An Act to repeal certain enactments.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2026.
2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.
3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

Short title.

Repeal
of certain enact-
ments.

Savings.

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force .-

THE SCHEDULE

[See Section 2]

REPEALS

Sr.No. (1)	Year (2)	No. (3)	Short title (4)	Extent of repeal (5)
1.	1933	2	Debt Conciliation Act (Central Province and Berar Region) 1933 (No. 2 of 1933).	The whole
2.	1937	4	Protection of Debtors Act (Central Province Region) 1937 (No. 4 of 1937).	The whole
3.	1937	3	Famine Relief Fund Act, 1937 (Central Province and Berar Region) (No. 3 of 1937).	The whole
4.	1939	14	Relief of Indebtedness Act (Central Province and Berar Region) 1939 (No. 14 of 1939).	The whole
5.	1940	3	Vidya Mandir Act (Central Province and Berar Region) 1940 (No. 3 of 1940).	The whole
6.	1944	3	The Madhya Pradesh Regulation of Couching Act, 1944 (No. 2 of 1944).	The whole
7.	1947	42	Land Survey Act (Central Province and Berar Region) 1947 (No. 42 of 1947).	The whole